ISSN 2277-5587
Impact Factor 5.465
Indexed in ULRICH, ISIFI, SJIF & DOJI
UGC Valid Journal (The Gazette of India,
Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Shodh Shree

(A Peer Reviewed International Referred Journal)

शोध श्री

Issue - 1 January-March 2022 RNI No. RAJHIN/2011/40531

SHODH SHREE
ज्ञानं भारः क्रियां विना
ISSN 2277-5587 RNI RAJHIN/2011/40531

shodhshree@gmail.com
www.shodhshree.com

CHIEF EDITOR
Dr. Virendra Sharma
EDITOR
Dr. Ravindra Tailor

Shodh Shree

(A Peer Reviewed International Referred Journal)

Dr. Virendra Sharma
Chief Editor
Government Girls P.G. College,
Ajmer

Dr Ravindra Tailor
Editor
Shodh Shree,
Jaipur

Editorial Board

Prof. H.S. Sharma (Retd.)
University of Rajasthan, **Jaipur**

Prof. T.K. Mathur (Retd.)
M.D.S. University, **Ajmer**

Prof. Ravindra Kumar Sharma (Retd.)
Kurukshetra University, Kurukshetra **(Haryana)**

Sarah Eloy
Museum The House of Alijn, **Belgium**

Prof. B.P. Saraswat (Retd.)
Dean of Commerce, M.D.S, University, **Ajmer**

Prof. Pushpa Sharma
Kurukshetra University, Kurukshetra **(Haryana)**

Dr. Manorama Upadhayay
Principal, Mahila P.G. Mahavidyalaya, **Jodhpur**

Dr. Veenu Pant
Associate Professor & Head, Department of History, Sikkim University, Gangtok **(Sikkim)**

Dr. Rajesh Kumar
Director (Journal, Publicaiton & Library), I.C.H.R., **New Delhi**

Dr. Pankaj Gupta
Assistant Professor, Department of College Education, **Jaipur**

Dr. Rajendra Singh
Archivist, Rajasthan State Archives, **Jodhpur Division**

Dr. Ram Chandra
Assistant Professor, (STRIDE),Indira Gandhi National Open University, **New Delhi**

Advisory Board

Prof. S.N. Tailor (Retd.)
S.D. Government P.G. College, **Beawar**

Prof. S.P. Vyas
Jainarain Vyas University, **Jodhpur**

Dr. Kate Boehme
University of Leicester, **United Kingdom**

Dr. Mahesh Narayan
Archivist (Retd.), National Archives of India, **New Delhi**

ISSN 2277-5587
Impact Factor 5.465
Indexed in ULRICH, ISIFI, SJIF & DOJI
UGC Valid Journal (The Gazette of India,
Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Shodh Shree

(A Peer Reviewed International Referred Journal)

शोध श्री

Volume-42 Issue-1 January-March 2022 RNI No. RAJHIN/2011/40531

Published by
DR. S. N. TAILOR FOUNDATION
(A Tribute to Late Shri Paras Hemendra G Tailor)

Prof. (Dr.) S. N. Tailor
Managing Director

Chief Editor
Dr. Virendra Sharma

Editor
Dr. Ravindra Tailor

Shodh Shree

(A Peer Reviewed International Referred Journal)

Contents

Volume-42 **Issue-1** **January-March 2022**

1. **समस्या नाटक और डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल** 1–6
   डॉ. प्रतिभा शुक्ला, किशनगढ़
2. **निराला का कुकुरमुत्ता : एक नई पहचान** 7–9
   डॉ. सुनीता देवी एवं मनमोहन आर्य, जयपुर
3. **पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध संत श्री सदाराम जी की धार्मिक यात्रा** 10–12
   डॉ. अशोक गाड़ी, सेड़वा (बाड़मेर)
4. **राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों का केन्द्र : अजमेर : ऐतिहासिक अध्ययन** 13–15
   डॉ. भगवान सिंह शेखावत, जोधपुर
5. **राजस्थान का एकीकरण** 16–23
   डॉ. पीयूष भादविया, उदयपुर
6. **मनीषा कुलश्रेष्ठ के साहित्य का लोकपक्ष** 24–26
   आरती अमरावत, जोधपुर
7. **भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 'मालवा अखबार' की भूमिका** 27–31
   डॉ. मनीष कुमार दासौंधी, बडवानी (मध्यप्रदेश)
8. **राजस्थान में भक्ति–संस्कृति का स्वरूप** 32–37
   देवपाल सिंह चारण, जोधपुर
9. **राजस्थानी लोक–संस्कृति, भाषा एवं साहित्यिक–धरोहर** 38–44
   डॉ. नेमीचंद कुमावत, रायपुर (भीलवाड़ा)
10. **संतकवि मोहनदास व उनकी रचनाएँ** 45–48
    डॉली प्रजापत, जोधपुर
11. **वेलि क्रिसन रुकमणी री में लोक संस्कृति** 49–53
    डॉ. प्रेरणा माहेश्वरी, बीकानेर
12. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं भारतीय समाज** 54–58
    डॉ. राजेन्द्र सिंह खीची, जोधपुर
13. **शेखावाटी की लोक गाथाए** 59–63
    डॉ. रोहिताश कुमावत, मसूदा (अजमेर)
14. **महात्मा ज्योतिबा फूले, शिक्षा क्रान्तिकारी दूत** 64–68
    पपेन्द्र सैनी, जयपुर
15. **ऑगनबाड़ी कार्यकत्री महिलाओं की समाजाकि–आर्थिक प्रस्थिति** 69–71
    दिव्या राव एवं डॉ. एम. पी. सिंह, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

राजस्थान का एकीकरण

डॉ. पीयूष भादविया
सहायक आचार्य, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

shodhshree@gmail.com

शोध सारांश

यह शोध-पत्र राजस्थान के एकीकरण से जुडे तथ्यों, घटनाक्रमों, विभिन्न समस्याओं एवं समाधान को दर्शाता है। राजस्थान, आजादी से पूर्व राजपूताना नाम से जाना जाता था। यहाँ 19 रियासतें, 3 चीफ-शिप/ठिकाने तथा 1 केन्द्रशासित प्रदेश था। कैबिनेट मिशन की घोषणा के आधार पर एकीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सात महत्त्वपूर्ण चरणों में सम्पूर्ण होता है। इस कार्य की शुरूआत प्रथम चरण में मत्स्य संघ के निर्माण 18 मार्च, 1948 से हुआ। 30 मार्च, 1948 को लगभग राजपूताना आज का राजस्थान नजर आने लगता है तथा 30 मार्च को ही हम राजस्थान दिवस मनाते है। 1 नवम्बर, 1956 को वर्तमान राजस्थान का निर्माण या एकीकरण पूर्ण हो जाता है। राजस्थान के एकीकरण में सरदार वल्लभभाई पटेल एवं उनके विभागीय सचिव वी. पी. मेनन के साथ-साथ राजाओं, प्रजामण्डलों के नेताओं एवं जनता का पूर्ण योगदान रहा।

संकेताक्षर : *राजपूताना, राजस्थान, एकीकरण, रियासत, चीफ-शिप, ठिकाने, प्रजामण्डल।*

आजादी से पूर्व राजपूताना तीन भागों में विभाजित था : रियासतें, चीफ-शिप एवं ब्रिटिश शासित प्रदेश। राजपूताना में 19 रियासतें (अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही), 3 चीफ-शिप/ठिकाने (नीमराना, लावा, कुशलगढ़) तथा 1 केन्द्रशासित प्रदेश (अजमेर मेरवाड़ा) थे। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से राजपूताना को चार भाग में बांट दिया था : पूर्वी राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी, जयपुर एजेन्सी, मेवाड़ और दक्षिण राजपूताना स्टेट्स तथा पश्चिमी राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी। राजपूताना की रियासतों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, साथ ही प्रजामण्डल भी अपनी भूमिका निभा रहे थे।

इन रियासतों, ठिकानों एवं केन्द्र शासित प्रदेश को एकसूत्र में पिरोकर एक सुदृढ़ प्रशासनिक इकाई राजस्थान का निर्माण हुआ। ये प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारम्भ होकर 1 नवम्बर, 1956 तक सात चरणों में पूर्ण हुई। यही प्रक्रिया राजस्थान का एकीकरण कहलाती हैं।[1]

16 मई, 1946 में केबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सम्बन्धी अपनी योजना में स्पष्ट किया कि भारत के स्वतंत्र होते ही, देशी राज्यों ने ब्रिटिश क्राउन के साथ संधियाँ करके जो अधिकार सौंपे थे, वे उन्हें वापस लौटा दिए जाएगे। अतः देशी राज्यों को ब्रिटिश सरकार की उत्तरदायी भारतीय सरकार से वार्त्ता करके अपना भविष्य तय करना चाहिए।[2] केबिनेट मिशन के 22 मई, 1946 ई. के ज्ञापन के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि छोटी-छोटी रियासतों को चाहिए कि वे आपस में मिलकर बड़ी इकाइयों का गठन करे, ताकि वे भारत के भावी संविधान के निर्माण में प्रभावी योगदान दे सके। यथासम्भव छोटी रियासतें अपनी पड़ोसी बड़ी रियासत या प्रान्त में मिल जायें। इस सम्बन्ध में राजपूताना के शासकों ने अपने स्तर पर छोटी-छोटी रियासतों को मिलाकर बडी इकाई बनाने के प्रयत्न किए थे।[3]

मेवाड के महाराणा भूपालसिंह ने 25 और 26 जून, 1946 को उदयपुर में छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई 'राजस्थान यूनियन' बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का सम्मेलन उदयपुर में

ISSN 2277-5587

बुलाया। इस सम्मेलन में 22 राजा-महाराजा उपस्थित थे।

महाराणा भूपालसिंह ने सम्मेलन में उपस्थित राजाओं से अपील की कि, वे सभी मिलकर 'राजस्थान यूनियन' का गठन करे ताकि भावी भारतीय संघ में वे एक सबल इकाई के रूप में सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। महाराणा ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित यूनियन भारतीय संघ की एक सब-फैडरेशन के रूप में बनाई जाये, जिसमें रियासतें अपना अपना पृथक अस्तित्व कायम रखते हुए कतिपय विषय 'यूनियन' को सौंप दें। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का आश्वासन दिया।[4]

महाराणा भूपालसिंह ने अपनी कार्ययोजना को पूर्ण करने के लिए के. एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। के.एम. मुंशी के सलाहानुसार महाराणा ने 23 मई, 1947 को पुनः राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि ''हम लोगो ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें, जो प्रान्तों के समकक्ष नहीं हैं, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएँगी।'' जोधपुर, जयपुर, बीकानेर आदि बड़े राज्यों को छोड़कर राजस्थान के शेष राज्यों ने महाराणा भूपालसिंह के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया। प्रस्तावित 'राजस्थान यूनियन' का विधान तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई। 14 फरवरी, 1948 को राजाओं एवं उनके प्रतिनिधियों की सभा में यूनियन के विधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। विधान में सभी राज्यों के शासकों को समान स्तर दिया गया। एक कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव था जिसमें सभी शासक सदस्य थे, जो अपने में से किसी एक को तीन वर्षों के लिए अध्यक्ष चुनते। विधान में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। एक सदन में राज्यों से समान संख्या में सदस्य होंगे और दूसरे सदन में जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित सदस्य होंगे। मगर प्रत्येक राज्य का कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा। इस विधान में मंत्रिमण्डल के गठन की भी व्यवस्था थी। राजाओं में यूनियन के इस विधान पर मतैक्य न हो सका।

महाराणा भूपालसिंह ने एक बार पुनः 6 मार्च, 1948 को राजस्थान एवं गुजरात के राजाओं से अपील की कि वे 'राजस्थान यूनियन' के रूप में संगठित हो जाएँ अन्यथा उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएँगी। लेकिन शासकों के पारम्परिक अविश्वास के कारण 'राजस्थान यूनियन' की योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी।[5]

राज्यों का एक संघ बनाने का प्रयास जयपुर महाराजा मानसिंह ने भी किया। अपने राज्य के दीवान वी. टी. कृष्णामाचारी के सुझावानुसार राजस्थान के राजाओं व उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में उपस्थित राजाओं के समक्ष कृष्णामाचारी ने राज्यों का एक ऐसा संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ के नियंत्रण में रहे व शेष मामले राज्य के पास रहे। यदि इस पर सहमति न हो तो छोटे राज्यों को जो अपना पृथक अस्तित्व नहीं रख सकते, उन्हें अपने पड़ोस के बड़े राज्यों के साथ मिल जाने की सलाह दी गई। मगर इस सम्मेलन में भी शासक किसी एक ठोस निर्णय पर नहीं पहुँच सके और सम्मेलन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

कोटा महाराव भीमसिंह कोटा, बून्दी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य हाड़ौती संघ बनाने का इच्छुक थे। वह वृहत्तर कोटा का निर्माण करना चाहते थे, किन्तु पारस्परिक अविश्वास, ईर्ष्या एवं अपना पृथक अस्तित्व बनाये रखने की महत्वाकांक्षा के कारण 'हाड़ौती संघ' बनाने का प्रयास भी मूर्त रूप नहीं ले सका।

डूँगरपुर महारावल लक्ष्मणसिंह 'वृहत्तर डूँगरपुर' का निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ के राज्यों को मिलाकर 'वागड संघ' का निर्माण करने का प्रयास किया। मगर उन्हें भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली।[6]

इस प्रकार राजाओं के अहम्, महत्वाकांक्षा, पारस्परिक अविश्वास व ईर्ष्या के कारण राजस्थान के राज्य विलय से पूर्व आपस में मिलकर किसी इकाई का निर्माण करने में असफल रहे। संघ बनाने का प्रयास करने वाले मेवाड़, जयपुर, कोटा व डूँगरपुर के शासक भी अपनी महत्ता एवं स्वयं के राज्य की सर्वोपरिता के इच्छुक थे। अतः संघ निर्माण में इन्हें सफलता नहीं मिली।

प्रथम चरण : मत्स्य संघ (18 मार्च, 1948)

5 जुलाई, 1947 को रियासती विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर बड़ी इकाइयों का निर्माण करना था। सरदार पटेल के नेतृत्व

में रियासती विभाग इस दिशा में सक्रिय था। मगर देश की स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन का देश एवं इसके दुष्परिणामों ने देश में साम्प्रदायिक दंगों को जन्म दिया। पूर्वी राजस्थान में अलवर व भरतपुर राज्यों में भी मेव मुसलमानों ने अलग 'मेवस्तान' की माँग को लेकर उत्पात शुरू कर दिया था। इन दोनों राज्यों में साम्प्रदायिक तनाव के कारण प्रशासन शिथिल व शांति स्थापित करने में असक्षम हो रहा था। अलवर के दीवान एन. वी. खरे और महाराजा तेजसिंह पर साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने के आरोप भी लगे। इसी दौरान 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गाँधी की हत्या हो गई। उस समय ऐसी अफवाह थी कि गाँधीजी के हत्यारों को अलवर में शरण दी गयी और यहीं उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया। अतः भारत सरकार ने अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।[7]

भरतपुर राज्य के विरुद्ध भी भारत सरकार को बहुत सारी शिकायतें मिली। वहाँ पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे थे। राज्य में ट्रेनों की लूटपाट की घटनाओं की सूचना भारत सरकार को मिल रही थी। भरतपुर के शासक बृजेन्द्रसिंह ग्वालियर के महाराज के साथ वी. पी. मेनन से मिले। उन्हें वी.पी. मेनन ने भरतपुर राज्य का प्रशासन भारत सरकार को सौंपने की सलाह दी। महाराज ने वी. पी. मेनन की बात मान 14 फरवरी, 1948 को भरतपुर राज्य का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया।[8]

इसी दौरान रियासती विभाग ने भौगोलिक, जातीय और आर्थिक दृष्टिकोण से समानता रखने वाले धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाने का विचार किया। अतः 27 फरवरी, 1948 को चारों राज्यों के शासकों को वी. पी. मेनन ने दिल्ली बुलाकर उनके समक्ष संघ निर्माण का प्रस्ताव रखा। उस समय यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि भविष्य में इस संघ को राजस्थान या संयुक्त प्रान्त में सम्मिलित किया जाएगा। प्रस्तावित संघ को चारों शासकों ने स्वीकार कर लिया और 28 फरवरी, 1948 को इसके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये। के. एम. मुंशी के सुझाव पर इस संघ का नाम 'मत्स्य संघ' रखा, क्योंकि महाभारत काल में यह क्षेत्र 'मत्स्य प्रदेश' के नाम से जाना जाता था। यह सुझाव शासकों ने मान लिया।

महत्व के आधार पर अलवर महाराज या भरतपुर महाराज को राज प्रमुख बनाना था, परंतु दोनों के खिलाफ जाँच के कारण उन्हें इस पद से दूर रखा गया।[9] धौलपुर महाराजा उदयभानसिंह को मत्स्य संघ का राजप्रमुख तथा करौली के महाराजा को उपराजप्रमुख बनाया गया। शोभाराम के नेतृत्व में एक लोकप्रिय मंत्रिमण्डल का गठन किया गया, जिसमें जुगल किशोर चतुर्वेदी (भरतपुर), मास्टर भोलानाथ (अलवर), गोपीलाल यादव, डॉ. मंगलसिंह (धौलपुर) और चिरंजीलाल शर्मा (करौली) को सम्मिलित किया गया। राजाओं के लिए प्रिवीपर्स निश्चित कर दिया गया।[10]

'मत्स्य संघ' का उद्घाटन 18 मार्च, 1948 को तत्कालीन केन्द्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। 'मत्स्य संघ' का क्षेत्रफल 7,589 वर्ग कि.मी., जनसंख्या 18,37,994 एवं वार्षिक आय 183 लाख रु. थी।[11]

मत्स्य संघ के निर्माण से धौलपुर और भरतपुर को मिलाकर 'ब्रज प्रदेश' तथा अलवर और भरतपुर को मिलाकर 'मेवस्थान' बनाने के स्वप्न चकनाचूर हो गए।[12]

द्वितीय चरण : राजस्थान संघ (25 मार्च, 1948)

कोटा, डूँगरपुर एवं झालावाड़ के शासकों ने 3 मार्च, 1948 को रियासती विभाग के समक्ष कोटा, बून्दी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, शाहपुरा एवं प्रतापगढ़ राज्यों तथा लावा एवं कुशलगढ़ के ठिकानों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। इनको डर था कि कहीं इनके राज्यों को मालवा या मध्यभारत में न सम्मिलित कर दिया जाए। अतः इन्होंने स्वयं ही आगे होकर भारत सरकार के समक्ष उक्त प्रस्ताव रखा।

भारत सरकार ने इन राज्यों का संघ निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रस्तावित संघ के मध्य में मेवाड़ राज्य स्थित था। अतः रियासती विभाग चाहता था कि मेवाड़ भी इस संघ में सम्मिलित हो जाए। मगर उसके द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मेवाड़ अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता था। इसलिए मेवाड़ पर दबाव नहीं डाला जा सकता था। फिर भी रियासती विभाग एवं बून्दी महाराव बहादुरसिंह ने प्रयत्न किया कि मेवाड़ भी प्रस्तावित संघ में सम्मिलित हो जाए, मगर मेवाड़ महाराणा इसके लिए तैयार नहीं हुआ, वरन् उसने स्वयं सभी राज्यों के मेवाड़ में विलय का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित संघ का राजप्रमुख कोटा महाराव को बनाये जाने पर बून्दी के शासक ने मेवाड़

ISSN 2277-5587

को इस संघ में सम्मिलित करने के लिए विशेष निजी प्रयत्न किए क्योंकि कोटा के शासक बून्दी के शासकों के छुटभैये थे। अतः बून्दी का कोटा के अधीन होना वंश परम्परा के विरुद्ध था। यदि मेवाड़ इस संघ में सम्मिलित हो जाता तो मेवाड़ महाराजा राजप्रमुख बनते, जिससे बून्दी धर्मसंकट से बच जाता। मगर उसके प्रयत्न कारगर नहीं हो पाए।

मेवाड़ राज्य द्वारा प्रस्तावित संघ में सम्मिलित होने के प्रति अनिच्छा व्यक्त करने पर भारत सरकार के रियासती विभाग ने मेवाड़ के बिना ही दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के राज्यों, कोटा, बून्दी, झालावाड़ टोंक, किशनगढ़, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़ तथा कुशलगढ़ एवं लावा ठिकानों को मिलाकर संघ बनाने का निर्णय किया। इस संघ का क्षेत्रफल 16807 वर्ग कि.मी., जनसंख्या लगभग साढ़े तेबीस लाख एवं वार्षिक आय दो करोड़ रुपये से अधिक थी। इस संघ के उद्घाटन की तिथि 25 मार्च, 1948 तय की गई।

इसी मध्य मेवाड़ में मंत्रिमण्डल गठन को लेकर महाराणा एवं प्रजामण्डल के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए। अतः 23 मार्च, 1948 को मेवाड़ राज्य ने भी प्रस्तावित संघ में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। परन्तु इस संघ के शपथ ग्रहण की तिथि तय हो जाने से मेवाड़ को इस समय संघ में सम्मिलित करना संभव नहीं था। इसलिए मेवाड़ को बाद में सम्मिलित करने का निश्चय किया गया। इस संघ का उद्घाटन 25 मार्च, 1948 को कोटा में केन्द्रीय मंत्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया। संघ में कोटा, सबसे बड़ा राज्य होने के कारण कोटा को राजधानी तथा कोटा महाराव भीमसिंह को राजप्रमुख बनाया गया। बून्दी के शासक बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराजप्रमुख तथा डूंगरपुर महारावल लक्ष्मणसिंह को कनिष्ठ उपराजप्रमुख पद दिया गया। शाहपुरा प्रजामण्डल के नेता गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि मंत्रिमण्डल निर्माण का कार्य स्थगित रखा गया।[13]

तृतीय चरण : संयुक्त राजस्थान (18 अप्रेल, 1948) (राजस्थान संघ में मेवाड़ का विलय)

मेवाड़ में मंत्रिमण्डल के गठन को लेकर प्रजामण्डल से विवाद होने पर 23 मार्च, 1948 को महाराणा भूपालसिंह ने राजस्थान संघ में सम्मिलित होने की इच्छा से रियासती विभाग को अवगत करा दिया था। 28 मार्च, 1948 को वी. पी. मेनन एवं मेवाड़ के प्रधानमंत्री एस. वी. राममूर्ति के मध्य मेवाड़ के विलय पर चर्चा हुई। मेवाड़ महाराणा भूपालसिंह ने औपचारिक रूप से मेवाड़ के राजस्थान संघ में विलय की स्वीकृति दे दी। एस. वी. राममूर्ति ने महाराणा की तीन प्रमुख मांगें रखी : (1) मेवाड़ महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राजप्रमुख बनाया जाये, (2) 20 लाख रु. वार्षिक प्रिवीपर्स दिया जाये, (3) उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाई जाये।

रियासती विभाग ने केवल महाराणा भूपालसिंह को आजीवन राजप्रमुख बनाना स्वीकार किया और महाराणा को 10 लाख रुपये वार्षिक प्रिवीपर्स, 5 लाख रुपये राजप्रमुख के कार्य का भत्ता तथा 5 लाख रु. धार्मिक कार्यो के लिए देना स्वीकार कर लिया। 29 मार्च को एस. वी. राममूर्ति से चर्चा के समय वी. पी. मेनन के समक्ष कोटा, डूँगरपुर एवं झालवाड़ के शासक भी मौजूद थे।[14] उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाने का भी निर्णय किया गया। मेवाड़ के प्रधानमंत्री एस. वी. राममूर्ति ने उदयपुर आकर महाराणा को दिल्ली के निर्णय से अवगत कराया। वी. पी. मेनन ने संबंधित शासकों को 10 अप्रैल 1948 को दिल्ली बुलाया। इस बैठक में कोटा, बूंदी, डूँगरपुर, झालवाड़, प्रतापगढ़ एवं टोंक के शासक मौजूद थे। एस. वी. राममूर्ति उदयपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। साथ ही गोकुललाल असावा भी मौजूद थे। मेवाड़ महाराणा की सभी शर्तें पूरी हो जाने पर 11 अप्रेल, 1948 को उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। उस दिन राजस्थान संघ में शामिल शासकों ने भी संशोधित मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिये। मेवाड़ के 'राजस्थान संघ' में सम्मिलित होने पर संघ को 'संयुक्त राजस्थान' नाम दिया गया।[15]

18 अप्रेल, 1948 को उदयपुर में प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया। मेवाड़ महाराणा भूपालसिंह को संयुक्त राजस्थान का आजीवन राजप्रमुख बनाया गया। कोटा महाराव भीमसिंह को वरिष्ठ उपराजप्रमुख बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया। संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित राज्यों के प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों गोकुललाल असावा (शाहपुरा) प्रेमनारायण माथुर, भूरेलाल बयाँ, मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर), भोगीलाल पांड्या (डूंगरपुर), अभिन्न हरि (कोटा) और बृजसुन्दर शर्मा (बून्दी) को मंत्रिमण्डल में सम्मिलित किया गया। संयुक्त राजस्थान का क्षेत्रफल 29,777

वर्ग मील, जनसंख्या 42,60,918 और वार्षिक आय 316 लाख रु. थी।'[16]

चतुर्थ चरण : वृहद् राजस्थान (30 मार्च, 1949)

(संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर का विलय)

'मत्स्य संघ' एवं 'संयुक्त राजस्थान' के गठन के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एवं सिरोही राज्य ही एकीकरण की प्रक्रिया से बचे थे। दिल्ली में यह निर्णय नहीं हो पा रहा था कि इन राज्यों को राजस्थान में शामिल करे या इन्हें चीफ कमिश्नर के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में रखा जाये।'[17]

मई, 1948 मे सिरोही राज्य का प्रबन्ध बम्बई सरकार को सौंप दिया गया। जैसलमेर राज्य का शासन भारत सरकार के हाथ में ही था। जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर राज्य रियासती विभाग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संघ के अन्तर्गत स्वतंत्र रहने के अधिकारी थे। यहाँ के शासक भी अपने राज्य को स्वतंत्र बनाये रखने के इच्छुक थे। लेकिन इन राज्यों की जनता एवं जनप्रतिनिधि इनका विलय कर वृहद् राजस्थान का निर्माण करना चाहते थे। समाजवादी दल ने राममनोहर लोहिया की अध्यक्षता में 'राजस्थान आन्दोलन समिति' का गठन कर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एवं मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कर एक सुदृढ़ इकाई के गठन की माँग की। भारत सरकार भी इन राज्यों को मिलाकर वृहद् राजस्थान का निर्माण करना चाहती थी।'[18]

दिसम्बर, 1948 में रियासती विभाग के सचिव वी. पी. मेनन ने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के शासकों से वृहद् राजस्थान के निर्माण के सम्बन्ध में वार्ता प्रारम्भ की। 11 जनवरी, 1949 को उसने जयपुर महाराजा को वृहद् राजस्थान के लिए तैयार कर लिया। बीकानेर और जोधपुर के शासकों ने भी आनाकानी के बाद विलय के प्रारूप पर अपनी स्वीकृति दे दी। 14 जनवरी, 1949 को उदयपुर में एक जनसभा में सरदार पटेल ने वृहद् राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी।

3 फरवरी, 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोकुलभाई भट्ट, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री को दिल्ली में एक बैठक में बुलाया। इस बैठक में जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह को राजस्थान का जीवन पर्यन्त राजप्रमुख, मेवाड़ महाराणा भूपालसिंह को महाराजप्रमुख, जोधपुर महाराजा हनुवन्तसिंह और कोटा महाराव भीमसिंह वरिष्ठ उपराजप्रमुख तथा बून्दी महाराव बहादुरसिंह डूंगरपुर महारावल लक्ष्मणसिंह को कनिष्ठ उपराजप्रमु बनाने का निर्णय किया गया। वृहद् राजस्थान राजधानी के प्रश्न पर मतभेद होने पर एक समि गठित की गई, जिसने जयपुर के पक्ष में अपनी रा दी। अतः जयपुर राजस्थान की राजधानी घोषित कर गई मगर अन्य बड़े नगरों का महत्त्व बनाये रखने लिए हाइकोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में खनिज विभाग उदयपुर में तथा कृषि विभाग भरतपु में रखने का निर्णय भी लिया गया।

30 मार्च, 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयपुर में वृहद् राजस्थान का उद्घाटन किया हीरालाल शास्त्री को वृहद् राजस्थान का मुख्यमंत्र मनोनीत किया गया। 7 अप्रैल, 1949 को हीरालाल शास्त्री ने अपने मंत्रिमण्डल का गठन किया, जिसमें सिद्धराज ढड्ढा (जयपुर), प्रेमनारायण माथुर, भूरेलाल बयाँ (उदयपुर), फूलचन्द बाफना, नरसिंह कच्छावा, महाराजा हनुवन्तसिंह (जोधपुर), रघुवरदयाल गोयल (बीकानेर) और वेदपाल त्यागी (कोटा) सम्मिलित थे। 30 मार्च, 1949 को वृहद् राजस्थान में अधिकांश रियासतों (कोटा, बून्दी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, व जैसलमेर तथा कुशलगढ़ एवं लावा ठिकाने) के विलय होने के कारण 30 मार्च 'राजस्थान दिवस' के रूप में भी मनाया जाता है।'[19]

पंचम चरण : संयुक्त वृहद् राजस्थान (15 मई, 1949) (वृहद् राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय)

मत्स्य संघ के निर्माण के समय ही इसमें सम्मिलित चारों राज्यों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया गया कि भविष्य में इस संघ का विलय संयुक्त प्रान्त या राजस्थान में किया जा सकता है। ये संघ आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं था तथा किसान सभा एवं मेवों की गतिविधियों के कारण प्रशासन सुचारु रूप से चलाना कठिन हो रहा था। अतः वृहद् राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही 'मत्स्य संघ' के इसमें विलय के लिए वार्ता चल रही थी।

13 फरवरी, 1949 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली के शासकों एवं मत्स्य संघ के मंत्रियों को रियासती विभाग ने दिल्ली बुलाया और 'मत्स्य संघ' के संयुक्त प्रान्त या राजस्थान में विलय के लिए वार्ता की। अलवर और करौली के शासकों ने राजस्थान में

ISSN 2277-5587

विलय के लिए सहमति व्यक्त की। मगर भरतपुर व धौलपुर के शासक अपने राज्यों को राजस्थान में विलय के लिए सहमत नहीं हुए। 23 मार्च, 1949 को इन शासकों से वी. पी. मेनन ने पुनः वार्ता की। भरतपुर ने भी राजस्थान में विलय की सहमति दे दी। धौलपुर के शासक ने प्रजा की इच्छानुसार निर्णय लेने की बात रखी। जब ये विषय सरदार पटेल को बताया गया तो उन्होंने दोनों राज्यों भरतपुर एवं अलवर की प्रजा के इच्छानुसार निर्णय लेने की बात रखी। इसके लिये 4 अप्रैल, 1949 को शंकर राव देव की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति गठित की। अन्य सदस्य थे आर. के. सिंघवा और प्रभुदयाल हिम्मत सिंगका। इस समिति को एक महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी। प्रजा का बहुमत राजस्थान में शामिल होने का रहा। इस आधार पर समिति ने इन दोनों राज्यों को राजस्थान में मिलाने की अनुंशसा की। साथ ही यह सुझाव भी दिया कि भविष्य में जरुरत पड़ने पर पुनः प्रजा का विचार जाना जाए। इस आधार पर 1 मई, 1949 को मत्स्य संघ के राजस्थान में विलय के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।[20]

10 मई, 1949 को 'मत्स्य संघ' में सम्मिलित चारों राज्यों के शासकों ने दिल्ली में मत्स्य संघ के वृहद् राजस्थान में विलय पर अपनी स्वीकृति दे दी। विलय पत्र पर चारों राज्यों के शासकों एवं वृहद् राजस्थान के राजप्रमुख ने हस्ताक्षर किये।

15 मई, 1949 को मत्स्य संघ का प्रशासन वृहद् राजस्थान को हस्तान्तरित कर दिया गया। मत्स्य संघ के मुख्यमंत्री शोभाराम को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमण्डल में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार 'वृहद् राजस्थान' के 'मत्स्य संघ' में विलय से 'संयुक्त वृहद् राजस्थान' का निर्माण हुआ।[21]

षष्ठम् चरण : सिरोही का राजस्थान में विलय (26 जनवरी, 1950)

'संयुक्त वृहद् राजस्थान' के निर्माण के पश्चात् सिरोही राज्य ही शेष राजस्थान से पृथक रहा था। अतः सिरोही के राजस्थान में विलय के प्रयास शुरू हो गए गुजरात के नेता भी सिरोही व आबू क्षेत्र को गुजरात में सम्मिलित करने के लिए प्रयासरत थे। गुजराती नेताओं का तर्क था कि आबू पर्वत पर स्थित जैन मंदिरों के दर्शनार्थ गुजराती जैन पूरे वर्ष बड़ी संख्या में पहुँचते हैं तथा आबू की संस्कृति भी गुजरात के निकट है तथा सिरोही का राजपरिवार काठियावाड़ और कच्छ के राजपरिवार से सम्बन्धित रहा है। अतः सिरोही का विलय गुजरात के साथ होना चाहिए। रियासती विभाग सरदार पटेल और गुजरात के नेताओं के प्रभाव में था, इसलिए जनता के विरोध के बावजूद रियासती विभाग ने 1 फरवरी, 1948 को सिरोही को राजपूताना एजेन्सी से हटाकर गुजरात एजेन्सी के अन्तर्गत कर दिया।[22]

सिरोही को गुजरात एजेन्सी में रखने का राजस्थान के नेताओं ने विरोध किया। उनका तर्क था कि सिरोही राज्य सदियों से राजपूताना का भाग रहा है, सिरोही राज्य में गुजराती बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं है तथा भाषा एवं संस्कृति की दृष्टि से भी सिरोही का विलय राजस्थान में होना चाहिए। आबू पर्वत राजस्थान के शासकों का ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल रहा है, जहाँ उनके आवास भी बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में अन्य कोई 'हिल स्टेशन' नहीं हैं। अतः सिरोही का विलय राजस्थान में ही होना चाहिए।

हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रेल, 1948 को सरदार पटेल को एक पत्र लिखकर सिरोही के राजस्थान में विलय की मांग की। 18 अप्रेल, 1948 को उदयपुर में संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने पं. जवाहरलाल नेहरू से भेंट कर सिरोही का विलय राजस्थान में करने की प्रार्थना की। पं. नेहरू ने इस सम्बन्ध में सरदार पटेल को पत्र लिखकर सिरोही के सम्बन्ध में जनता की भावनाओं का ख्याल रखने का परामर्श दिया।

सिरोही के गुजरात या राजस्थान में विलय पर सहमति नहीं बनने पर गोकुलभाई भट्ट की सलाह पर सरदार पटेल ने 8 नवम्बर, 1948 को सिरोही रीजेन्सी कौंसिल से समझौता कर इसका शासन प्रबन्ध भारत सरकार के सुपुर्द कर दिया। 5 जनवरी, 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबन्ध बम्बई सरकार को सौंप दिया। सिरोही राज्य को राजस्थान में सम्मिलित करने के लिए निरन्तर आन्दोलन चल रहा था। अतः सरदार पटेल ने राजस्थान की जनता के विरोध को शान्त करने के लिए 26 जनवरी, 1950 को सिरोही राज्य को दो भागों में विभाजित करके आबू एवं देलवाड़ा तहसील बम्बई राज्य में तथा शेष सिरोही राज्य को राजस्थान में सम्मिलित कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध सिरोही और राजस्थान में व्यापक आन्दोलन हुआ। आन्दोलन में गोकुलभाई भट्ट और बलवन्तसिंह मेहता ने भी भाग लिया। भारत सरकार

द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार का आश्वासन देने पर ही आन्दोलन समाप्त हुआ।

1 नवम्बर, 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग (न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में गठित) की सिफारिशों के अनुसार आबू पर्वत व देलवाड़ा तहसील सहित सम्पूर्ण सिरोही राज्य का विलय राजस्थान में कर दिया गया।[23]

सप्तम चरण : वर्तमान राजस्थान (1 नवम्बर, 1956) (अजमेर-मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय)

देश की स्वतंत्रता के बाद भी अजमेर पूर्व की भांति केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत ही रहा। राजस्थान के सभी राज्यों के विलीनीकरण के बाद अजमेर के राजस्थान में विलय का प्रश्न भी उठा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग रही थी कि अजमेर-मेरवाड़ा का प्रदेश भी राजस्थान में सम्मिलित हो। लेकिन अजमेर के कांग्रेस नेतृत्व ने इसे राजस्थान से अलग इकाई रखने पर ही जोर दिया। 1952 ई. में आम चुनावों के बाद हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में बने कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य बनाने का तर्क देकर अजमेर-मेरवाड़ा को राजस्थान से अलग रखना चाहा। वी. पी. मेनन ने राजपूताना के सभी राज्यों के राजस्थान में विलय के बाद अजमेर के अलग रहने के औचित्य पर सवाल उठाया। राजस्थान के जननेता भी अजमेर के राजस्थान में विलय की मांग उठाते रहे।

राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जब अजमेर के विलय का प्रश्न आया तो आयोग ने अजमेर-मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय की सिफारिश की। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 नवम्बर, 1956 को माउण्ट आबू, देलवाड़ा तहसील तथा अजमेर-मेरवाड़ा के प्रदेश का राजस्थान में विलय हो गया।[24]

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा गाँव का विलय भी राजस्थान में किया गया, साथ ही कोटा जिले का सिंराजे उपविभाग मध्यप्रदेश राज्य में सम्मिलित किया गया।[25]

राजस्थान के निर्माण में विभिन्न प्रजामण्डलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं, विशेषकर जयनारायण व्यास, माणिक्य लाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, गोकुललाल असावा, गोकुलभाई भट्ट का प्रमुख योगदान रहा। सरदार वल्लभभाई पटेल व उनके विभाग के सचिव वी. पी. मेनन की राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

राजस्थान राज्य निर्माण
(18 मार्च 1948 से 1 नवम्बर 1956)

क्र.स.	निर्मित संघ का नाम	निर्माण-तिथि	रियासत/राज्य जो संघ में शामिल हुए
1.	मत्स्य संघ	18 मार्च, 1948	अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली।
2.	राजस्थान संघ	25 मार्च, 1948	बांसवाड़ा, बूंदी, डूँगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक।
3.	संयुक्त राजस्थान	18 अप्रैल, 1948	राजस्थान संघ + उदयपुर।
4.	वृहद् राजस्थान	30 मार्च, 1949	संयुक्त राजस्थान + बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर।
5.	संयुक्त वृहद् राजस्थान	10 अप्रैल, 1949	वृहद् राजस्थान + मत्स्य संघ
6.	राजस्थान संघ	26 जनवरी, 1950	संयुक्त वृहद् राजस्थान + सिरोही।
7.	राजस्थान	1 नवम्बर, 1956	राजस्थान + अजमेर, आबू एवं सुनेल टप्पा।

ISSN 2277-5587

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. उम्मेदसिंह इन्दा, राजस्थान में स्वाधीनता संघर्ष, राज्य शासन एवं राजनीति, प्रथम संस्करण, राजस्थानी ग्रन्थागार, जयपुर, 2005, पृ.82
2. हुकम चन्द जैन, डॉ. नारायण माली, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया, तृतीय संस्करण, जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, 2012, पृ. 726
3. रामप्रसाद व्यास, आधुनिक राजस्थान का वृहत् इतिहास, खण्ड-द्वितीय, तृतीय संस्करण, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2010, पृ. 375
4. बी.एल. पानगड़िया, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम, तेरहवां संस्करण, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2009, पृ. 114-115
5. हुकम चन्द जैन, डॉ. नारायण माली, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया, तृतीय संस्करण, जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, 2012, पृ. 727
6. उपरोक्त, पृ. 728
7. उपरोक्त, पृ. 729
8. वी.पी. मेनन, द स्टोरी ऑफ द इन्टीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, पृ. 175
9. उपरोक्त, पृ. 176
10. हुकम चन्द जैन, डॉ. नारायण माली, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया, तृतीय संस्करण, जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, 2012, पृ. 729
11. वी.पी. मेनन, द स्टोरी ऑफ द इन्टीग्रेश ऑफ द इंडियन स्टेट्स, पृ. 176
12. उम्मेदसिंह इन्दा, राजस्थान में स्वाधीनता संघर्ष, राज्य शासन एवं राजनीति, प्रथम संस्करण, राजस्थानी ग्रन्थागार, जयपुर, 2005, पृ. 83
13. हुकम चन्द जैन, डॉ. नारायण माली, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया, तृतीय संस्करण, जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, 2012, पृ. 730-731
14. वी.पी. मेनन, द स्टोरी ऑफ द इन्टीग्रेश ऑफ द इंडियन स्टेट्स, पृ. 179
15. वी.पी. मेनन, द स्टोरी ऑफ द इन्टीग्रेश ऑफ द इंडियन स्टेट्स, पृ. 180
16. हुकम चन्द जैन, डॉ. नारायण माली, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया, तृतीय संस्करण, जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, 2012, पृ. 733
17. वी.पी. मेनन, द स्टोरी ऑफ द इन्टीग्रेश ऑफ द इंडियन स्टेट्स, पृ. 181
18. हुकम चन्द जैन, डॉ. नारायण माली, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया, तृतीय संस्करण, जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, 2012, पृ. 734
19. हुकम चन्द जैन, डॉ.नारायण माली, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया, तृतीय संस्करण, जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, 2012, पृ. 735
20. वी.पी. मेनन, द स्टोरी ऑफ द इन्टीग्रेश ऑफ द इंडियन स्टेट्स, पृ. 184
21. हुकम चन्द जैन, डॉ. नारायण माली, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया, तृतीय संस्करण, जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, 2012, पृ. 736
22. वी.पी. मेनन, द स्टोरी ऑफ द इन्टीग्रेश ऑफ द इंडियन स्टेट्स, पृ. 185-186
23. हुकम चन्द जैन, डॉ. नारायण माली, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया, तृतीय संस्करण, जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, 2012, पृ. 738
24. बी.एल. पानगड़िया, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम, तेरहवां संस्करण, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2009, पृ. 136
25. हुकम चन्द जैन, डॉ. नारायण माली, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया, तृतीय संस्करण, जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, 2012, पृ. 740